कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री राजाराम, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चुल्हैरा, डीग जिला भरतपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुमाने का तला, चोहटन जिला बाड़मेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री राजाराम द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 312/2020 राजाराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई है।

अपील संख्या 312/2020 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2020 द्वारा अपीलार्थी श्री राजाराम को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि अनुसार, राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश से विनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री राजाराम द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के अस्थमा एवं पत्नी के हैड इन्जरी से पीड़ित होने के मद्देनजर अपना पदस्थापन स्थान संशोधित कर भरतपुर जिले में राउमावि गॉवडी, कामां/लडलाका, पहाडी/अथवा राउमावि जोतरूहल्ला, पहाडी जिला भरतपुर में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का विभागीय दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 जो कि पूर्व के समस्त दिशा निर्देशों के अधिक्रमण में जारी किये गए हैं, के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त प्रकरणों को ही स्थानान्तरण के आवेदनों में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। अपीलार्थी के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रकट नहीं होता जिससे उनके अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावे। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें विभागीय प्राथमिकता, प्रशासनिक आवश्यकता, राज्य एवं विद्यार्थी हित में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण भी किया जा चुका है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्री राजाराम द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/राजाराम/312/287/2020 दिनांकः 22.06.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बाडमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बाडमेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री राजाराम, प्रधानाचार्य राउमावि, गुमाने का तला, चौहटन जिला बाडमेर।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)